

तारीख हुक्म	223/08 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा.फ्र 212/08	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी
----------------	--	--

08<sup>05</sup>/<sub>24</sub> आज पत्रावली पेश हुई, प्रार्थिया व उनके वकील  
 की बार-बार आवाज दिलाने गई, साथ 5000  
 रुपये तक इन्तजार किया, परन्तु कोई भी उपस्थित  
 नहीं हुआ। जिससे यह जाहिर होता है कि  
 प्रार्थिया अपना प्रार्थना पत्र आर्ग्य-यलाने में  
 रुचि नहीं रखता है, अतः प्रा.फ्र अफसरजी  
 कोर्ट में खारिज किया जाता है, फाफली  
 में दिनांक 12.12.2008 को जारी अंतिम आदेश  
 विधिवादा की खारिज की जाती है पत्रावली  
 केसल सुमार होकर दायिल इफतर ही।

(अनुसंग दस्त)

